

—अठठावन—

उत्तर प्रदेश सरकार  
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5  
संख्या क0नि0-5-1694 / 11-2005-500(68)-2004  
लखनऊ, दिनांक 03 मई, 2005  
अधिसूचना  
आदेश

प0आ0-205

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपने उपयोजन के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होन के दिनांक से कृषि क्रियाकलापों से सम्बन्धित ट्रैक्टर या मशीनरी के अर्जन के लिए उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नियोजित प्रत्येक लिखत पर (जिसके अन्तर्गत कोई बन्धक, प्रभार, दृष्टिबन्धन (हार्डपोथिकेशन) या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज भी हैं) जहाँ ऐसी लिखत किसी कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित की जाये, 100.00 रुपया (एक सौ रुपया) से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या क0 नि0-5/2391/ 11- 1998-500(9)-98, दिनांक 10 जून, 1998 को विखण्डित करते हैं।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
अतुल चतुर्वेदी,  
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-1694/XI-2005-500(68)-2004, dated May 03, 2005 for general information:

**No. K.N.-5-1694/XI-2005-500(68)-2004**  
**Lucknow, Dated May 03, 2005**

Notification  
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the governor is pleased to rescind with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the Government notification no. K.S.V.-5-2391/XI-1998-500(9)-98, dated June 10, 1998 relating to remit the stamp duty exceeding Rs. 100.00 (Rupees one hundred) chargeable on every Instrument employed for obtaining loan or other financial assistance (including a mortgage, charge, hypothecation or documents executed by sureties) for acquisition of tractor Or machinery relating to agricultural activity where such instrument is executed by an agriculturist favour of a Bank.

By order,  
Sd/-Illegible  
ATUL CHATURVEDI,  
Pramukh Sachiv.